श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, सरकार को अवश्य ही उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप करना चाहिए और उच्चतम न्यायलय को यह बताना चाहिए कि अधिगृहित भूमि में कोई हस्तक्षेप न हो। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या की समस्या एक जटिल समस्या है, गम्भीर समस्या है, उसे हल करने के प्रयास हुए हैं। सफलता नहीं मिली। अदालत में भी देर हो रही है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया कुछ ऐसी है। जो तत्काल परिस्थिति है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। श्री मुलायम सिंह जी का यह कहना ठीक नहीं है कि अयोध्या में आग लगी हुई है...*(व्यवधान)* अयोध्या में शांति है। स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में हैं। जो प्रबन्ध किए गए हैं, उनके बारे में मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा। इस समय अयोध्या में सीआरपीएफ की 41 कम्पनियां हैं, पीएसी की 23 कम्पनियां हैं, यू.पी. पुलिस के 400 कान्सटेबल और 100 सब-इन्सपैक्टर, वहां तैनात हैं। एक कम्पनी में लगभग 80 सुरक्षा कर्मी होते हैं। वहां मार्च हो रहा है। प्रतिबन्धों के कारण कुछ आम नागरिकों को कठिनाई हो रही थी, उन प्रतिबन्धों को ढीला किया गया है। लेकिन अयोध्या में शान्ति है और सरकार इस शांति को बनाए रखने के लिए दृढ़-संकल्प है।

श्रीराम जन्म-भूमि न्यास ने सरकार को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी कि जो अविवादित भूमि है और जो सरकार की इस समय देख-रेख में है, उसमें उन्हें यज्ञ करने का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही श्रीराम जन्म-भूमि न्यास ने सरकार को इस बात की भी सूचना दी कि न्यास अयोध्या विवाद के बारे में अदालत का फैसला मानने के लिए तैयार है और इस संबंध में उन्होंने जो पत्र लिखा है, उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट की गई है। अयोध्या के सारे विवाद में यह एक नया मोड़ है। अभी तक विश्व हिन्दू परिषद् और उससे जो संलग्न संस्थायें थीं, कहा करती थीं कि मामला अदालत में तय नहीं हो सकता; यह निष्ठा का विषय है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। एनडीए के घोषणा पत्र में, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमने यह स्पष्ट कहा कि अयोध्या के विवाद को हल करने के लिए दो ही तरीके हैं।

पहला यह है कि आपस की बातचीत से विवाद हल किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए और अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर अदालत से कहा जाए कि वे इसमें जल्दी सुनवाई करें, कोई न कोई फैसला दें। राम जन्मभूमि न्यास यह घोषणा कर चुका है कि अदालत के फैसले से अगर फैसला खिलाफ भी जाता है तो वह उससे बंधा हुआ है। इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया है उसका विवादित भूमि से कोई नाता नहीं है। अविवादित भूमि है, जिसका संबंध सरकार से है और सरकार उसकी देख-रेख कर रही है। कानूनी राय ली गई है और मामला अदालत में चला गया है। इस बीच सरकार ने कोर्ट में जो मामला है उस पर जल्दी से सुनवाई हो, इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। न्यास ने जो यह घोषणा की है कि वे अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। मेरा निवेदन है कि सदन और देशवासी इस घोषणा के महत्व को स्वीकार करें और समस्या के समाधान में अपना योगदान दें।

वार्ता के द्वारा मामला हल करने के लिए कांची काम कोटि के जगत गुरू शंकराचार्य दिल्ली आए थे, उन्होंने मुस्लिम नेताओं से भी बात की। वातावरण बातचीत के लिए बना है, वातावरण में सुधार हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसका लाभ उठाया जाए। अगर बातचीत से समस्या हल हो सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जहां तक 15 तारीख को पूजन का प्रश्न है, अब मामला अदालत में चला गया है, यह मामला 13 तारीख को सुनवाई के लिए आएगा। अभी तक सरकार ने न्यास को वहां कोई कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। हम प्रतीक्षा करेंगे, 13 तारीख को सुनवाई में क्या होता है, अदालत किस तरह का दृष्टिकोण अपनाती है। हम आशा करते हैं कि ऐसा फैसला होगा जो समस्या के अंतिम समाधान में सहायक होगा। . . .*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : आप भी अदालत में इंटरवीन करें और कहें कि कोई भी एक्वायर्ड लैंड पर इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)*

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی)**: آپ بھی عدالت میں انٹروین کریں اور کہیں کہ کوئی بھی ایکوائرڈ لینڈ پر انٹرفیرنس نہیں ہو سکتا۔...(مداخلت)]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, माननीय प्रधानमंत्री आपकी बात से पहले सहमत तो हों। आप इस तरह से नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक संगठन हैं, उनके अनेक नेता हैं, अनेक प्रवक्ता हैं। मुझे कल इमामों के संगठन के नेता मिलने के लिए आए थे। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे चुभ गयी। उन्होंने कहा कि आपने मंदिर तो विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया और मस्जिद, एक मुस्लिम नेता का उन्होंने नाम लिया कि उसको सौंप दी। अब हमारे पास न मंदिर है न मस्जिद है, अब हम क्या करें? सचमुच में उन्होंने जो कहा उसमें एक दर्द था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समस्या को हल करने का प्रयास हो रहा है और इसमें सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा कोई काम नहीं होगा और न सरकार ऐसा कोई काम होने देगी जो अदालत के फैसले के खिलाफ होगा। लेकिन इस बीच अगर बातचीत का रास्ता निकलता है तो उसका स्वागत होना चाहिए और पूरे सदन को उसमें योगदान देना चाहिए। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि. . .*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री को इसका उत्तर देना ही चाहिए।

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, मैंने बंगाल के ऊपर नोटिस दिया हुआ है।...*(व्यवधान)* बंगाल में राम भक्त कारसेवक मारे गये हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मदद करना चाह रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरवीन करें और बताएं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राय दी थी। सर, प्रधान मंत्री जी ने जो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी उसमें हमने अपनी राय दी थी। वह राय भी सुप्रीम-कोर्ट में हुकूमत की तरफ से पेश की जाए।...*(व्यवधान)* हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि कोई इजाजत एक्वायर जमीन पर इंटरफिरेंस की हरगिज न दें।....*(व्यवधान)*

[**جناب جی.ایم. بنات والا (پونانی)**: سپریم کورٹ کے اندر انٹروین کریں اور بتائیں جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی رائے دی تھی۔ جناب، وزیر اعظم جی نے جو آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی اس میں ہم نے اپنی رائے دی تھی وہ رائے بھی سپریم کورٹ میں حکومت کی طرف سے پیش کی جائے (مداخلت) حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کو کہنا چاہئے کہ کوئی اجازت ایکوائر زمین پر انٹرفیرنس کی ہرگز نہ دیں۔ (مداخلت)]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हम सभी इस बात से सहमत थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : सर, माननीय बनातवाला जी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, शाहबानों केस में उन्होंने क्या किया था।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसको इन्होंने नहीं माना था, अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। वह स्पष्टीकरण चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : सुप्रीम कोर्ट की राय आ जाती है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे।. . .*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, बंगाल सरकार ने निर्दोष लोगों पर गोली चलाई जिसमें 40 लोग घायल हो गये हैं. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को यह बात याद होगी कि उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने वाले सभी दल न्यायिक निर्णय पर अथवा समझौते पर सहमत हो गये थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने यह भी कहा था कि ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे विश्व हिन्दू परिषद द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान देने अथवा अवहेलनाकारी रवैया अपनाने, इसे आप चाहे जो कुछ भी कहें, के कारण उत्पन्न हो रही समस्या और अधिक बढ़ जाये।...*(व्यवधान)* यही कठिनाई है। वे दो मिनट के लिए भी धैर्य नहीं रख सकते...*(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : हमें अयोध्या मामले के संबंध में कुछ कहना है। अत: हम 13 तारीख को चर्चा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

13 और 14 तारीख को...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : हिंदू मरता है तो गुंडा मरता है और अगर मुसलमान मरता है तो मुसलमान मरता है, यह क्या सोच है आपकी।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : आपको समय क्यों दिया जाए...*(व्यवधान)* बंगाल में आप क्या दंगा कराना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि सभा में ऐसा ही होता रहेगा तो सभा की बैठक जारी रखने और कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से स्पष्टीकरण देने का अनुरोध कर रहा हूं।